

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्व): कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली

संदेश

हिन्दी दिवस

14 सितंबर 2026

"हिन्दी दिवस", 14 सितंबर 2026 के शुभ अवसर पर पूर्वी जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएँ।

हम सभी को यह विदित है कि देश की संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में, लिखित हिन्दी भाषा को देश की राष्ट्रभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया था। दिल्ली राजभाषा अधिनियम 2000, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, दिनांक 26.01.2004 से लागू हो चुका है, जिसमें हिन्दी को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तभी से प्रति वर्ष 14 सितंबर को 'हिन्दी दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

भाषा मनोभाव व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है। किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब उसके निवासी अपनी राजभाषा में चिंतन एवं लेखन करें। यद्यपि विभिन्न भाषाएँ और संस्कृतियाँ भारत की पहचान हैं और सभी भाषाओं का समृद्ध इतिहास और साहित्य है तथा बहुत संख्या में बोलने वाले भी मौजूद हैं, परंतु पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का काम हिन्दी ने बखूबी किया है और राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

सभी जिला न्यायालयों में भी हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी विभागों का सृजन हो चुका है। विभिन्न जिला न्यायालयों में हिन्दी भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु निरंतर अथक प्रयास किये जा रहे हैं। हाल ही में केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली के तत्वाधान में पूर्वी जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली में निजी सहायक वर्ग के नवनियुक्त (newly appointed) आशुलिपिक वर्ग के कर्मचारियों को 'प्रमाणित हिन्दी टंकण प्रशिक्षण' प्रदान किया गया, जो कि कार्यालय के दैनिक कार्यों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रशंसनीय उपलब्धि है। अतः सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी में कार्य करना हमारा संवैधानिक दायित्व है।

आइए, हिन्दी दिवस के इस अवसर पर हम राजभाषा और जन भाषा के रूप में हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए जिला न्यायालय में यथासंभव योगदान करें।

आप सभी को एक बार पुनः हिन्दी दिवस 2026 हार्दिक शुभकामनाएँ।

अश्वनी सरपाल

(अश्वनी कुमार सरपाल)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्वी जिला,
कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।

संख्या 1913-1921/राजभाषा हिन्दी अनुभाग/पूर्व/क.क.डू./दिल्ली/2026

दिनांक 09 SEP 2026

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित-

1. निजी कार्यालय, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
2. निजी कार्यालय, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्व), कड़कड़कडूमा न्यायालय, दिल्ली।
3. माननीय अध्यक्ष, केंद्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
4. समस्त विद्वत न्यायिक अधिकारी, पूर्व जिला, कड़कड़कडूमा न्यायालय, दिल्ली।
5. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), राजभाषा हिन्दी अनुभाग, समस्त न्यायिक जिले/परिसर, दिल्ली/नई दिल्ली।
6. समस्त प्रशासनिक अधिकारी/अनुभाग प्रभारी, पूर्व जिला, कड़कड़कडूमा न्यायालय, दिल्ली।
7. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/अनुभाग प्रभारी, कंप्यूटर शाखा, कड़कड़कडूमा न्यायालय, दिल्ली, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. प्राप्ति एवं निर्गमन शाखा, पूर्व जिला, कड़कड़कडूमा न्यायालय, दिल्ली को लेयर्स (LAYERS) पर अपलोड करने हेतु।
9. रीडर, नोडल अधिकारी (पूर्व), केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली।

21/2/21

नोडल अधिकारी (पूर्व)
केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय, दिल्ली।